न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 560/2023

अनवान : –

1. मुकेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. राकेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन भगवाना तहसील नोहर।
2. लीलावती पुत्री हरदयानल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 59/55 की कुल 11.6220 हैक्ट भूमि से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3/4 हिस्सा भूमि मृतक ज्याना देवी पत्नी हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 59/55 की कुल 11.6260 हैक्ट भूमि से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि को प्रतिवादी एवं वादीगण संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रखने में सहमत है एवं उक्त वाद भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि मृतक ज्याना देवी पत्नी हरदयाल के नाम दर्ज है वह भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने परिवार की शांति सौहार्द बनाये रखने के लिए आपस पारिवारिक सहमति रजामंदी से वादीगण न0 1 व 2 के नाम दर्ज करवाने के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उक्त वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहते है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि 3/4 हिस्सा के वादीगण न0 1 व 2 बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं मृतक ज्याना देवी का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा पाने के अधिकारी है। इसी आशय की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि [illegible] के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया [illegible] है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2072–75 रोही मौजा भगवान खाता संख्या 59/55 प्रदर्श–1, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2029–2038 प्रदर्श–2, मृत्यु प्रमाण पत्र ज्यानी प्रदर्श–3ए , सरपंच ग्राम पंचायत देईदास द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श–4 आदि प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के दादी के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या ने रोही मौजा भगवान के तहसील नोहर के खाता संख्या 59/55 की कुल 11.6220 हैक्ट भूमि मे से 3/4 हिस्सा भूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लियसा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 59/55 की कुल 11.6260 हैक्ट भूमि से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 3/4 हिस्सा भूमि मृतक ज्याना देवी पत्नी हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत देईदास [illegible]स्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार मृतक ज्यानी [illegible] होना स्वीकार किया गया है। मृतक ज्याना देवी के नाम दर्ज भूमि में से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 59/55 की कुल 11.6220 हैक्ट भूमि में से 3/4 हिस्सा भूमि मृतक ज्याना देवी पत्नी हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ज्याना देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/12/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 560 / 2023

अनवान : –

1. मुकेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. राकेश पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन भगवाना तहसील नोहर।
2. लीलावती पुत्री हरदयानल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन भगवान तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 560 सन 2023 निर्णय दिनांक 27/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजय सिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता संख्या 59 / 55 की कुल 11.6220 हैक्ट भूमि में से 3 / 4 हिस्सा भूमि मृतक ज्याना देवी पत्नी हरदयाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक ज्याना देवी का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:42:56 IST
Reason: SelfAttested